` **भारत सरकार**

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.211

02 फरवरी, 2021 को उत्तरार्थ

विषय : प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के लाभार्थी

211. श्रीमती वीणा देवीः

श्रीमती पूनम महाजनः

श्री जी.एम. सिद्देश्वरः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत दावे करने वाले किसानों/लाभार्थियों की राज्य-वार कुल संख्या क्या है;

(ख) बिहार में किसानों द्वारा दायर किए गए दावों की कुल राशि और बीमा कंपनियों से प्राप्त वास्तविक राशि क्या है;

(ग) पांच हेक्टेयर अथवा इससे कम जोत रखने वाले किसानों की कुल संख्या क्या है;

(घ) क्या इस योजना का लाभ सभी राज्यों में सभी किसानों को दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के प्रावधानों के अनुसार यदि व्यापक पैमाने पर प्राकृतिक आपदाएं जैसे सूखा, बाढ़ आदि आती हैं तो ऐसी स्थिति में फसल क्षति/दावों की सूचना दायर करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऐसे दावों की गणना मौसम के अंत में पैदावार में हुई कमी के आधार पर की जाती है। बुवाई मौसम की अंतिम अवधि और कृषि मौसम के मध्यावधि में क्षतिग्रस्त फसल के दावों की गणना क्षेत्र दृष्टिकोण तथा पैदावार के आंकड़े/क्षतिग्रस्त फसल से संबंधित राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के आधार पर की जाती है। तथापि, स्थानीय जोखिमों जैसे ओलावृष्टि, भू-स्खलन, अतिवृष्टि, बादल फटने, प्राकृतिक आग लगने तथा बेमौसमी वर्षा/चक्रवात/अतिवृष्टि के कारण फसल कटाई पश्चात हुई क्षति की गणना खेत के आधार पर व्यक्तिगत बीमित खेत आधार पर की जाती है इसलिए किसानों को अपनी फसल की हुई क्षति के संबंध में संबंधित बीमा कम्पनी/राज्य सरकार/वित्तीय संस्थान को देनी होती है। फसलों की हुई क्षति का मूल्यांकन एक संयुक्त समित द्वारा की जाती है जिसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधि एवं संबंधित बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के लिए इस स्कीम के तहत लाभान्वित कुल (दावे प्राप्त करने वाले) किसानों की संख्या का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख): पीएमएफबीवाई के अंतर्गत बिहार में सूचित दावों एवं भुगतान किए गए दावों का वर्षवार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ग): कृषि गणना 2015-16 के अनुसार प्रचलनात्मक भू-जोतों की कुल संख्या के साथ पांच हैक्टेयर अथवा उससे कम प्रचालित क्षेत्र 1424.2 लाख है।

(घ) एवं (ड.): पीएमएफबीवाई सभी किसानों और सभी राज्यों के लिए स्वैच्छिक आधार पर उपलब्ध है। इस स्कीम के तहत कवरेज के लिए फसल एवं क्षेत्र को संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है।

लो.स.अता.प्र.सं.211

अनुबंध-I

25.01.2021 तक पीएमएफबीवाई के तहत लाभान्वित किसानों की राज्यवार संख्या			
(संख्या लाख में)			
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2017-18	2018-19	2019-20
अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	-	-	-
आंध्र प्रदेश	7.15	16.17	14.26
असम	0.02	0.08	-
बिहार	2.18	-	-
छत्तीसगढ़	6.58	6.56	14.83
गोवा	0.0002	0.0003	0.0007
गुजरात	3.90	13.77	0.93
हरियाणा	3.25	4.19	5.26
हिमाचल प्रदेश	1.47	1.28	0.89
जम्मू और कश्मीर	0.19	0.20	-
झारखंड	1.39	0.58	-
कर्नाटक	6.19	13.67	5.08
केरल	0.38	0.40	0.24
मध्य प्रदेश	24.81	22.63	25.89
महाराष्ट्र	53.72	80.04	87.31
मणिपुर	0.04	0.00002	0.03
मेघालय	0.0001	0.002	0.01
ओडिशा	7.53	6.58	11.88
पुडुचेरी	-	0.005	-
राजस्थान	25.28	20.57	23.26
सिक्किम	0.001	0.00003	-
तमिलनाडु	9.86	18.50	11.30
तेलंगाना	4.40	0.59	-
त्रिपुरा	0.03	0.002	0.07
उत्तर प्रदेश	5.85	6.21	9.46
उत्तराखंड	0.70	0.85	0.94
पश्चिम बंगाल	5.49	7.08	-
सकल योग	170.40	219.94	211.65

** खरीफ 2019 के दावे पूरी तरह से रिपोर्ट नहीं किए गए; रबी 2019-20 दावा गणना की प्रक्रिया चल रही है।*

लो.स.अता.प्र.सं.211

अनुबंध-II

पीएमएफबीवाई- बिहार में दावों का विवरण 25.01.2021 तक				
वर्ष	मौसम	रिपोर्ट किए गए दावे	भुगतान किए गए दावे	लाभान्वित किसानों के आवेदन (लाख)
		रू. करोड़ में		
2016-17	खरीफ 2016	290.84	290.84	1.52
	रबी 2016-17	57.01	57.01	0.64
	कुल	347.85	347.85	2.16
2017-18	खरीफ 2017	374.53	374.53	1.87
	रबी 2017-18	26.99	26.99	0.31
	कुल	401.52	401.52	2.18
सकल योग		749.36	749.36	4.34

** बिहार ने खरीफ 2018 के बाद से पीएमएफबीवाई लागू नहीं किया है।*